उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(समाज कल्याण शाखा)

वन स्टॉप सेन्टर, गुमला में विभिन्न पदो के विरूद्ध सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेन्टर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी–वन स्टॉप सेन्टर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श,चिकित्सा सहायता,मनो–सामाजिक परामर्श,अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।

गुमला जिले में इस योजनान्तर्गत एक सखी–वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। गुमला जिले के सखी–वन स्टॉप सेन्टर मे विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अहर्ता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से संयुक्त सचिव एवं परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति,झारखण्ड राँची के पत्र संख्या–193 (रा0म0सं0 के0/झा0म0वि0स0) दिनाँक–15.12.2020 के आलोक में निम्नांकित विवरणीनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	सेवा प्रदाता	निर्धारित अहर्ता	समेकित मासिक परिलब्धि
1	केन्द्र **प्रशासक–01** (केवल महिलाओं के लिए)	**शैक्षणिक योग्यता :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि मे स्नातक। **आवश्यक कार्य अनुभव :** किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था/परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। वांछित कार्य अनुभव : किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था/परियोजना में परामर्श दाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	30,000/–

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें –

1. प्रारंभिक चरण में संविदा एक वर्ष हेतु अनुमान्य होगी। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा।
2. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3. संविदा आधारित उपर्युक्त पदों की नियुक्ति 03 वर्षो के लिए की जायेंगी जिसे अधिकतम 05 वर्षो तक के लिए संविदा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा। 05 वर्षो के उपरांत यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता है तो संदर्भाधीन पदो पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
4. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का स्थाई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानेदय पर उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
5. विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्त्तो एवं पदों की संख्या में संसोधन कर सकता है।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मान्य होगा।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानांतरित नहीं होगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।
10. सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई (संविदा/अनुबंध आधारित)होगें। इन पदो के विरूद्ध नियुक्त अभ्यर्थी का दावा स्थाई करने हेतु अमान्य होगा एवं योजना के समाप्ति के साथ सभी पद समाप्त समझे जायेंगे।
11. उपर्युक्त संविदा के आधार पर सृजित पदो की नियुक्ति वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4569 दिनांक–05.07.2002 के आलोक में किया जायेगा एवं संविदा/नियत वेतन पद नियुक्त सभी कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के क्षेत्राधीन होगा।
12. उम्र सीमा की गणना 01.06.2022 के अनुसार की जाएगी ।

योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया :–

केन्द्र प्रशासक योग्यता निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक – 60

(ख) आवश्यक कार्य अनुभव –प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकम 20 अंक – 20

(ग) वांक्षित कार्य अनुभव– प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकम 20 अंक – 20

कुल अधिकतम अंक - 100

नोट :– (क) एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटाकर गणना किया जायेगा।

आवेदन हेतु निर्देश :–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में Online वेबसाइट www.recuritment.jharkhand.gov.in पर समर्पित करेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों, अनुभव प्रमाण–पत्रों, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की पाठनीय प्रतियाँ स्व–अभिप्रमाणित कर Upload किया जाना अनिवार्य है।
3. बिन्दु–2 में अंकित प्रमाण–पत्रों में से यदि कोई प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न नहीं है, तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नही मिलेगा,यद्यापि Online आवेदन के विहित–प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो।
4. शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाये एवम् सम्बन्धित प्रमाण–पत्र यथा बिन्दु–2 Upload किये जाये।
5. कार्य–अनुभव के लिए नियोक्ता (Employer) के द्वारा निर्गत एवम् हस्ताक्षरित पत्र / प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। तदनुसार कार्य–अनुभव से सम्बन्धित पत्र / प्रमाण–पत्र की प्रतियाँ यथा बिन्दु–2 Upload किये जाये।
6. सेवाओं के लिए योगदान की तिथि से यह अनुबन्ध 01 वर्ष के लिए होगा तत्प चात् सेवा अवधि का विस्तार सेवा प्रदाता के संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन तथा योजनान्तर्गत कार्य की आवश्यकता के अधार पर की जायेगी।
7. व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा Online आवेदन समर्पित करने की अन्तिम तिथि– 04.08.22 है।
8. **उम्र**

(i)	अनारक्षित	–35 वर्ष
(ii)	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–37 वर्ष
(iii)	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	–38 वर्ष
(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवम् महिला)	–40 वर्ष

9. (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प– 29 दिनांक– 04.01.2021 के आलोक में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी –

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु
अनराक्षित	21 वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष
महिला (अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग)		38 वर्ष	48 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूश एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

(ख) भूतपूर्व सैनिको को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षो की छूट।

27/6/2022
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

27/6/2022
उप विकास आयुक्त,
गुमला

27.06.22
उपायुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक– 895(i) दिनांक– 27/6/2022

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– DIO, NIC, Gumla को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को जिला के पोर्टल – gumla.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– CEO, JAP-IT, Ranchi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप JAP-IT, के आधिकारिक पोर्टल – http://recruitment.jharkhand.gov.in पर अपलोड कराते हुए तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :— निदेशक, महिला, बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड रांची को सादर सूचनार्थ।

27/6/2022

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

27/6/2022

उप विकास आयुक्त,
गुमला

27.06.22

उपायुक्त,
गुमला।